



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक : बु0वि0/प्रशा0/2020/6415

दिनांक : 18/04/2020

कार्यालय ज्ञाप

सेवा में,

समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/सम्बन्धित कार्यालय अधीक्षक,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

विषय : सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के सम्बन्ध में सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल 2020 से खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त के संदर्भ में शासनादेश संख्या : 902/सत्तर-3-2020 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुपालन में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के कार्यालय चरणबद्ध ढंग से दिनांक 20/04/2020 से खोले जायेंगे।

प्रथम चरण में कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, वित्त अधिकारी कार्यालय एवं परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ही खोले जायेंगे। उनमें कार्यरत कर्मचारीगण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये दूर-दूर बैठेंगे साथ ही कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही स्वयं को सेनेटाइज करने के पश्चात ही कार्यालय में प्रवेश करेंगे। साथ ही अपने बैठने के स्थान एवं अन्य उपकरण जैसे कम्प्यूटर, प्रिन्टर इत्यादि को भी पूरी तरह सेनेटाइज करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी को अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय के अधिकारी/शिक्षकों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल फोन ऑन रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको कार्य हेतु बुलाया जा सके।


(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी झाँसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में आने-जाने की छूट प्रदान करने का कष्ट करें।
2. सम्पादक/संवाददाता..... को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त अधिसूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में जन हितार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम समन्वयक।
4. वित्त अधिकारी।
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. समस्त वार्डन, महिला/पुरुष छात्रावास।
7. सुरक्षा प्रभारी
8. डॉ० दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. सहा० अभियंता/अवर अभियंता (विद्युत)/अवर अभियंता (सिविल)।
10. समस्त सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी।
11. मा० कुलपति जी के निजी सचिव।
12. कुलसचिव के आशुलिपिक।
13. आदेश पत्रावली।


कुलसचिव